

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा जिला भीलवाड़ा (राज0)

पीठासीन अधिकारी श्रीमति सुनिता यादव, आर0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 401 / 2022

उनवान

- 1- लालु पुत्र कजोड़ रेगर निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा
- 2- मगना पुत्र प्रताप रेगर निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा
- 3- मोहन पुत्र कजोड़ रेगर निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा
- 4-6 मु. गीता, बेनाथ, लादुलाल पिता भेरू रेगर निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा

- प्रार्थीगण

बनाम

- 1- घनश्याम पुत्र गंगाराम रेगर निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा
- 2- केशु पुत्र भज्जा रेगर निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा
- 3- नंदसिंह पुत्र अमृतसिंह राजपूत निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा
- 4- बेणा पुत्र बरदा रेगर निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा
- 5- भेरू पुत्र काशीराम रेगर निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा
- 6- जगन्नाथ पुत्र उदा रेगर निवासी अरनिया रासा तहसील शाहपुरा

- विपक्षीगण

उपरिस्थिति :- श्री अनिल कुमार शर्मा
अधिवक्ता प्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट, 1956

-:: निर्णय ::-

दिनांक- 22.11.2022

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत विरुद्ध विपक्षीगण के प्रस्तुत किया गया, जिसके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है - ग्राम अरनिया रासा पटवार हल्का अरनिया रासा तहसील शाहपुरा जिला भीलवाड़ा में स्थित आराजी नम्बर 3559/1134 रकबा 0.05 है0, 3569/1135 रकबा 0.11 है0, 3562/1134 रकबा 0.36 है0, 3565/1135 रकबा 0.26 है0 कुल किता 4 रकबा 0.78 हैक्टेयर के प्रार्थीगण संयुक्त खातेदार काश्तकार है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पड़ोसी है। प्रार्थीगण एवं विपक्षीगण के मध्य आराजी के सीमाचिन्ह नहीं होने से आये दिन सीमा सम्बन्धी विवाद उत्पन्न होता रहता है। अतः पत्थरगढ़ी करवाई जावे।

प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। विपक्षीगण बावजूद सूचना उपस्थित नहीं होने से एकतरफा कार्यवाही की जाकर बहस अभिभाषक प्रार्थीगण सुनी गई। हमने पत्रावली का एवं प्रस्तुत खाते की नकल जमाबन्दी ग्राम अरनिया रासा पटवार हल्का अरनिया रासा संवत् 2076 से 2079 तक का अवलोकन किया। उपरोक्त वर्णित आराजीयात् प्रार्थीगण के संयुक्त खातेदारी में दर्ज होकर अपनी आराजीयात् की पत्थरगढ़ी कराना चाहते है। अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर मौजा अरनिया रासा में स्थित प्रार्थीगण की उपरोक्त संयुक्त खातेदारी की आराजीयात् किता 4 रकबा 0.78 हैक्टेयर की पुख्ता पत्थरगढ़ी पक्षकारान् की मौजूदगी में अगर मौके पर अन्य कोई विवाद न हो तो व कोई प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन न हो तो कब्जे में हस्तक्षेप नहीं करते हुये पत्थरगढ़ी किये जाने हेतु तहसीलदार शाहपुरा को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। पत्थरगढ़ी हेतु कमिश्नर फीस 500/- रुपये कायम किये जाते है, जो प्रार्थीगण से तहसीलदार शाहपुरा मौके पर प्राप्त करें। पत्थरगढ़ी मौका पर्चा पेश करें। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम से हो। बाद तहसील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।



प्रतिलिपि :- तहसीलदार शाहपुरा के पास भेजकर लेख है कि मुताबिक आदेश पक्षकारान् की मौजूदगी में नियमानुसार पत्थरगढ़ी की जाकर पालना रिपोर्ट शीघ्र भिजावे।

(सुनिता यादव)
उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा

उपखण्ड अधिकारी
एवं सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला भीलवाड़ा